राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
''वित्त भवन'' जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं.:–0141–2740837, **फैक्स** 0141–2742309, ई मेलः–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम–193 / 88) / अलेसे–III / 2187-96 दिनांक :– 23/01/2025

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)सेवानिवृत्त / कनि0 लेखाकार / अलेसे–III / 2023 / 1149, आदेश संख्या 81 / 2023–24 दिनांक 21.12.2023 द्वारा क्रम संख्या 07 पर अंकित श्री महावीर प्रसाद (लिंक न. 4849) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.01.2025 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान के निर्णय दिनांक 06.11.2023 द्वारा श्री प्रसाद को मुकदमा संख्या 2 / 09 में अपराध अंतर्गत धारा 420, 409, 477क, 120बी भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना (डीडवाना–कुचामन) के द्वारा अपील नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है। श्री प्रसाद को विभागीय जॉच में कार्मिक (क–3 / जॉच) विभाग द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत जारी ज्ञापन दिनांक 26.06.2012 में कार्मिक (क–3 / जॉच) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(105)कार्मिक / क–3 / जॉच / 2012 दिनांक 25.01.2022 द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जाकर जांच समाप्त की जा चुकी है। अतः जांच समाप्त होने के परिणामस्वरूप वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त / नियम / 2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि अब श्री महावीर प्रसाद, कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)(एम–193 / 88) / अलेसे–III / 2187-96 दिनांक :– 23/01/2025

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना (डीडवाना–कुचामन)।
3. कोषाधिकारी, नागौर।
4. उपनिदेशक (जांच) / उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
5. श्री महावीर प्रसाद, कनि. लेखाकार कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गोपनीय शाखा / पदस्थापन सीट।
9. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।
10. संस्थापन अनुभाग।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)

F:\JRA,AAO-II old dealing data\letter.docx103